24 अगस्त, 2022

कनाडा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की "जनता की संसद: नवाचार के माध्यम से पहुंच" विषय पर आयोजित कार्यशाला के दौरान माननीय अध्यक्ष का भाषण

———

माननीय सभापति एवं शिष्टमंडल के गणमान्य सदस्यगण:

1. संसदीय लोकतंत्र में जनता की आशाओं एवं आकांक्षाओं को संसद द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। जनता की इच्छा संसद के माध्यम से प्रकट की जाती है। सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था के रूप में संसद का दायित्व है कि वह जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करे। जनता की अपेक्षा रहती है कि उनके निर्वाचित प्रतिनिधि उनकी समस्याओं को संसद में अभिव्यक्ति दें और उनकी सामाजिक, आर्थिक बेहतरी के लिए कार्य करें।

2. लोकतंत्र भारत के लिए कोई नई संकल्पना नहीं है। हमारे देश में प्राचीन काल से ही सभा और समिति के नाम से लोकतान्त्रिक संस्थाएं मौजूद रही हैं। इन संस्थाओं के माध्यम से जनता अपनी समस्याओं को शासन के सामने रखती थी तथा उनके समाधान की उम्मीद करती थी। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के नायकों ने भी समय समय पर लोकतांत्रिक पद्धति के लिए अपना संकल्प व्यक्त किया था। यही कारण है कि वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमने अपने सामाजिक आर्थिक विकास के लिए लोकतंत्र को ही अपनाया।

3. माननीय प्रतिनिधिगण, आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हुए क्रांतिकारी परिवर्तनों ने विभिन्न देशों के बीच और देशों के अंदर भी विभिन्न समुदायों के बीच भौतिक दूरियों को समाप्त कर दिया है। तकनीक ने लोकतांत्रिक संस्थाओं एवं नागरिकों के बीच की दूरी को भी समाप्त कर दिया है। भारत जैसे विशाल देश में संचार क्रांति ने लोकतंत्र को सशक्त बनाने में उल्लेखनीय भूमिका निभायी है।

4. मित्रों, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारा देश सांस्कृतिक, भाषाई, सामाजिक और धार्मिक विविधताओं वाला देश है। इतनी विविधताओं वाले देश में लोकतंत्र को सशक्त करना तथा जनता के बीच लोकतांत्रिक प्रणाली में आस्था को मज़बूत करना हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी सफलता रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 75 वर्षों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से हमारे देश की जनता ने लोकतांत्रिक संस्थाओं में बार-बार अपना विश्वास व्यक्त किया है। चुनावों में मतदान के बढ़ते प्रतिशत ने यह साबित किया है कि जनता लोकतंत्र को शासन की सर्वोत्तम पद्धति मानती है।

5. हमारे देश में लोकतंत्र को ज़मीनी स्तर पर सशक्त करने के लिए गाँवों और शहरों में स्थानीय स्वशासी निकायों में भी प्रत्यक्ष निर्वाचन का सिस्टम आरम्भ किया गया है। इसके भी अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। पंचायत और नगरपालिका चुनावों के माध्यम से हमारा लोकतन्त्र और मजबूत हुआ है। इसके अतिरिक्त चुनावी प्रक्रिया को और सशक्त एवं पारदर्शी बनाने के लिए भारत में दो दशक से भी अधिक समय पूर्व इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग आरम्भ हुआ। आज पूरे देश में चुनाव इन्हीं मशीनों के माध्यम से किया जा रहा है। यह तभी सम्भव हो पाया है जब जनता ने इन सुधारों को पूरे उत्साह से अपनाया है।

6. माननीय प्रतिनिधिगण, भारत की संसद आरम्भ से ही देश की प्रगति और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक संप्रभु, सामाजिक, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के सुदृढ़ स्तम्भ के रूप में भारत की संसद पारदर्शिता और जवाबदेही के उच्च आदर्शों को बनाए रखने का प्रयास करती रही है। संसद ने सदैव जनहित के विषयों पर चर्चा संवाद के केंद्र के रूप में अपनी भूमिका को प्राथमिकता दी है। यही कारण है कि जनता संसद को अपने सामाजिक आर्थिक स्थिति में परिवर्तन के वाहक के रूप में देखती है। **अपनी 75 वर्षों की इसी सफल यात्रा को हम इस वर्ष आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं जिसके अंदर हम**

अपने देश को समृद्धि एवं विकास के क्षेत्र में विश्व की अग्रिम पंक्ति में रखने का संकल्प कर रहे हैं।

7. माननीय प्रतिनिधिगण, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोकतांत्रिक संस्थाओं को जनता के लिए सुलभ बनाने के उद्देश्य से अनेक initiatives लिए जा रहे हैं। यह प्रसन्नता का विषय है कि आज IT के माध्यम से ऐसी सुविधाएँ, तकनीकें उपलब्ध हैं, जिनके उपयोग से लोकतांत्रिक संस्थाओं को जनता के और पास ले जाया जा सकता है। इनके माध्यम से नागरिक न सिर्फ़ संसद में जनप्रतिनिधियों के कार्यों पर निगरानी रख सकते हैं, बल्कि संसदीय लोकतंत्र मैं जनता की भागीदारी को और अधिक सहज और सुलभ बनाया जा सकता है।

8. माननीय प्रतिनिधिगण, भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन का उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त, समावेशी समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करना है। सरकार के focussed प्रयासों का परिणाम है कि हमारे देश में आज 750 मिलियन से अधिक लोगों के पास smartphone है। अनुमान है कि वर्ष 2026 तक यह संख्या 1 बिलियन तक पहुँच जाएगी।

9. यही कारण है कि भारतीय संसद द्वारा IT एवं मोबाइल एप्लीकेशनों के माध्यम से संसद को जनता के समीप ले जाने का काम तेजी से किया जा रहा है। संसद के कामकाज में अधिक से अधिक digitisation किया जा रहा है। आज हमारी संसद पेपरलेस ऑफिस है। माननीय सदस्यों को संसद से सम्बंधित पत्रों एवं दस्तावेज के लिए ई पोर्टल की सुविधा दी गयी है। इससे संसद की तथा माननीय सदस्यों की कार्यकुशलता में भी वृद्धि हुई है।

10. मित्रों, आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। हमारी 27 प्रतिशत से अधिक आबादी युवा है। विशेष रूप से युवाओं को संसद से जोड़ने के उद्देश्य से संसद को सोशल मीडिया और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से जनता के लिए सुलभ बनाया जा रहा है। संसद की कार्यवाही को जनता तक सीधे पहुँचाने के लिए एक डेडिकेटेड संसद tv चैनल आरम्भ किया

गया है। इस चैनल पर नागरिक ना सिर्फ़ संसद की कार्यवाही देखते हैं, बल्कि संसदीय लोकतंत्र एवं संविधान के विभिन्न आयामों पर भी उन्हें जानकारी दी जा रही है। संसद टीवी पर वे अपने जनप्रतिनिधियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं।

11. माननीय प्रतिनिधिगण, संसद को जनता से जोड़ने के उद्देश्य से ***डिजिटल संसद ऐप*** की भी शुरुआत की गयी है। इस ऐप्लिकेशन को इस रूप में डिज़ाइन किया गया है कि यह जनता के लिए संसद के बारे में वन स्टॉप solution हो। इस ऐप पर नागरिकों के लिए संसदीय कार्यवाही, संसदीय पात्रों, विधेयकों को अपने मोबाइल फ़ोन में देख सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से लोग अपने प्रतिनिधियों के कार्यकलापों, वाद-विवादों और चर्चाओं में उनकी भागीदारी को देख पाते हैं। संसद में यह भी व्यवस्था की गयी है कि सदस्यों द्वारा सदन में किए गए संवाद के वीडियो को उन्हें तत्काल उपलब्ध करा दिया जाता है, ताकि उसे वे अपने मतदाताओं के साथ साझा कर सकें।

12. इसी प्रकार संसद की डिजिटल लाइब्रेरी भी लॉन्च की गई है, जिसपर भारत के संसद की आजतक की सभी डिबेट्स को जनता के लिए सुलभ कर दिया गया है। इस लाइब्रेरी के माध्यम से जनता हमारे संसदीय लोकतंत्र के इतिहास से भी अवगत हो सकती है।

13. माननीय सभापति जी, भारत सरकार ने सूचना के अधिकार क़ानून के माध्यम से जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने और शासन की जवाबदेही एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने का काम किया है। इस क़ानून का उपयोग करके नागरिकों को संसद से भी आवश्यक जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। इस सम्बंध में प्रो-ऐक्टिव प्रयास करते हुए संसद की वेबसाइट पर अधिकतर जानकारियों को पब्लिक डोमेन में डाल दिया गया है। इससे संसद के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है।

14. मित्रों, लोकतंत्र में प्रेस जनता को शिक्षित एवं जागरूक करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। संसद द्वारा सत्र के दौरान तथा समय समय पर मीडिया को एंगेज किया जाता है और उनके

माध्यम से जनता तक आवश्यक जानकारी पहुँचायी जाती है। संसद एवं संविधान को जनता से प्रत्यक्ष जोड़ने के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी की प्रेरणा से नो योर कॉन्स्टिटियुशन अभियान आरम्भ किया गया है, जिसके अंतर्गत स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों को संसदीय लोकतंत्र एवं संविधान के मूल्यों से जोड़ा जा रहा है।

15. माननीय प्रतिनिधिगण, देश के अंदर विभिन्न स्तरों की लोकतांत्रिक संस्थाओं के बीच सार्थक संवाद के लिए संसद द्वारा आउटरीच कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं। इसका उद्देश्य पूरे देश की पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों को संसद के साथ जोड़ना है, ताकि उन्हें लोकतांत्रिक सिद्धांतों एवं मूल्यों तथा विकास और जनता की भागीदारी के महत्व के बारे में जागरूक बनाया जा सके। मेरे विचार में स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए यह कार्यक्रम अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रहा है।

16. भारत की संसद में हम इस बात के लिए अत्यंत सजग हैं कि संसद का भवन सभी व्यक्तियों के लिए सहज रूप से accessible हो। इसके लिए संसद संपदा को दिव्यांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया गया है। संसद ग्रंथालय में दृष्टिबाधित सदस्यों तथा आगंतुकों के लिए ब्रेल के साथ-साथ audio की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।

17. हम संसदीय व्यवस्था में प्रौद्योगिकी के प्रयोग से जुड़े अपने अनुभवों को परस्पर साझा कर सकते हैं। देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था के रूप में हमारा दायित्व है कि हम एक समृद्ध, समावेशी और जागरुक समाज के निर्माण हेतु कार्य करें, ताकि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाए। मुझे आशा है कि आज की चर्चा के दौरान हम संसदों को जनता के निकट लाने के विषय पर अपने-अपने अनुभवों को साझा करते हुए एक-दूसरे से सीखने का प्रयास करेंगे।